Affiliation Renewal

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

2404
क्र......../अका./संब. /................ भोपाल, दिनांकः-30-5-19

प्रति,

प्राचार्य,
052 -VIKRAMADITYA COLLEGE
282, M.P. NAGAR, ZONE-II
BHOPAL

विषयः-

अस्थाई सम्बद्दता की निरंतरता 2019-20 प्रदान करने विषयक।

महोदय,

विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दि. 30-04-2019 की अनुशंसा पर कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में म.प्र. वि.वि. अधि. 1973 की धरा 15 (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत, कुलपति जी द्वारा दी गई स्वीकृति के तारतम्य में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्दता की निरंतरता (निम्नांकित शर्तों के तहत) प्रदान की जाती है|

S.No.	Course	Branch	Status
1	BBA	---	TEMPORARY
2	BCA	---	TEMPORARY
3	BCOM	COMPUTER APPLICATION, OFFICE MANG. AND SECRETARIAL PRAC., ---, PRINCIPLES AND PRACTICE OF MANAGEMENT, TAX PROCEDURE AND PRACTICES	TEMPORARY
4	BLIB	---	TEMPORARY
5	MCOM	ACCOUNT, MANAGEMENT	TEMPORARY
6	MLIB	---	TEMPORARY
7	PGDCA	---	TEMPORARY

शर्तेः-

- 1. प्रदत्त अस्थाई सम्बद्दता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2020-21 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्थाओं की मान्यता, निर्धारित सम्बद्दता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा |
- 2. उच्च शिक्षा विभाग/ नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगा।
- 3. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- 4. किसी भी शर्त की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त मन जावेगा|
- 5. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
- 6. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची 3 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है| (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
- 7. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
- 8. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा। प्रति 3 माह में। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
- 9. विश्वविद्यालय मे जमा/ जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी 1 माह मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)

आदेशानुसार

उप-कुलसचिव,(अकादमी)

2405
प्र.क्र......../अका./संब. /................ 30/5/19

प्रतिलिपि-

- 1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 2. अतिरिक्त संचालक भोपाल/नर्मदापुरम संभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 3. प्रभारी आई.टी./वेब सेल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु|
- 4. उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
- 5. कुलपति/ कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (अकादमी शाखा)
सहायक कुलसचिव,(अकादमी)